विचार बिन्दु

समय सबसे बड़ा चिकित्सक है, वक्त हर घाव का मरहम है। –कहावत

जलवायु संकट के दौर में भारत

अनुकूलन, न्याय और साझा जिम्मेदारी के साथ कदम, पेरिस समझौते से लेकर COP-30 तक भारत दे रहा है वैश्विक नेतृत्व का संदेश

घातक गर्मी से लेकर सिकुड़ते जल संसाधनों तक – जलवायु परिवर्तन आने वाला खतरा नहीं बल्कि हमारी जीवित वास्तविकता बन चुका है। तापमान, वर्षा, हवा और ऋतुओं वाले जलवायु के दीर्घकालिक पैटर्न पृथ्वी पर जीवन को आकार देते हैं –रेगिस्तानों की गर्मी से लेकर वर्षावनों की आर्द्रता तक। मौसम जहाँ प्रतिदिन बदलता है, वहीं जलवायु दशकों तक स्थिर रहने वाले पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आजीविका को सहारा देती है। लेकिन अब ये पैटर्न बदल रहे हैं।

बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और चरम मौसमी घटनाएँ खाद्य प्रणालियों को बाधित कर रही हैं, भूख, कुपोषण, बीमारियाँ व संक्रमण बढ़ा रही हैं, बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचाने के साथ अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ डाल रही हैं –जिनमें सबसे अधिक प्रभावित वे हैं जो पहले से ही जलवायु के प्रति संवेदनशील हैं।

बदलते जलवायु का असर :–

"विश्व मौसम संगठन" के अनुसार, 2024 में वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से लगभग "1.55 डिग्री से. अधिक" रहा –यह अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। तीव्र गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र स्तर और बाढ़, सूखा, जंगलों में आग और चक्रवात जैसी चरम घटनाएँ जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। "लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2024" ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर रिकॉर्ड तोड़ प्रभाव दिख रहे हैं। केवल भारत में ही 2022 तक करीब "17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण" से जुड़ी बताई गई है, जबकि "2024 में दुनिया के 61 प्रतिशत हिस्से" को सूखे ने प्रभावित किया। फिर भी, "कार्रवाई की रफ्तार बहुत धीमी" है।

नीति और कार्रवाई की स्थिति – योजना से क्रियान्वयन तक :–

भारत ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (2008) के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिकांश राज्यों ने योजनाएँ बनाई हैं परंतु डेटा सिस्टम और विभागीय समन्वय अभी कमजोर हैं।

कुछ शहर जैसे बेंगलुरु अब वार्ड स्तर तक जलवायु एक्शन प्लान लागू कर रहे हैं – यह दिखाता है कि राष्ट्रीय सिफारिशें स्थानीय स्तर पर लागू की जा सकती हैं। आगे ज़रूरत है कि ऐसे मॉडल्स का मूल्यांकन हो ताकि वे देश के बड़े जलवायु और स्वास्थ्य लक्ष्यों से जुड़ें।

अब देश अपने "राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions NDC) को मजबूती दे रहे हैं ताकि उत्सर्जन घटे, अनुकूलन या एडेप्टेशन बढ़े, शमन यानि जलवायु परिवर्तन के कारणों जिनमें वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाया जा सके ताकि तापमान वृद्धि सीमित हो और जलवायु जोखिम विकास योजनाओं में शामिल हो। 'पेरिस समझौता (2015)', 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' और 'आईपीसीसी' जैसी संस्थाओं के वैज्ञानिक मार्गदर्शन के तहत, दुनिया एक "लचीले और जलवायु-स्मार्ट भविष्य" की दिशा में सामूहिक रूप से काम कर रही है। भारत ने अपने अपडेटेड राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC 2022) के तहत यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक घटाएगा, और देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्त्रोतों जैसे सौर, पवन, जल और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करेगा। 2005-2022 में भारत ने 33% से अधिक उत्सर्जन तीव्रता घटाई, जो NDC लक्ष्य से पहले की उपलब्धि है। आज दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाले बड़े देशों में भारत शामिल है (OECD डेटा)।

भारत ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (2008) के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिकांश राज्यों ने योजनाएँ बनाई हैं परंतु डेटा सिस्टम और विभागीय समन्वय अभी कमजोर हैं।

विकासशील देशों के सामने चुनौती: लचीलापन, न्याय और समावेशी कम-कार्बन संक्रमण :–

विकासशील देशों के लिए "लचीलेपन (Resilience)" को मजबूती देते हुये एक "न्यायपूर्ण संक्रमण सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके लिए जरूरी है कि जलवायु जोखिमों को सभी स्तरों की योजना में शामिल किया जाए," अर्ली वार्निंग सिस्टम को विस्तारित करें, और "जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना" तथा "परिस्थितिक तंत्रों" (जैसे आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और जलग्रहण क्षेत्र) में निवेश करें। "जलवायु वित्त" और "सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ" (जैसे मनरेगा) को बढ़ाना, "ग्रीन जॉब्स" के लिए प्रशिक्षण देना और "स्थानीय क्षमता व जवाबदेही तंत्र" को मजबूत करना आवश्यक है ताकि आजीविका की रक्षा हो और कम-कार्बन संक्रमण समावेशी और टिकाऊ बने।

30वां जलवायु सम्मेलन –'कॉप 30' वादों से अमल की ओर :–

कॉप 30 में इस बार जलवायु अनुकूलन या एडेप्टेशन यानि जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों जैसे "जल, कृषि, स्वास्थ्य और अवसंरचना" में लचीलापन बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। जैसे-जैसे दुनिया "कॉप 30 (10-21 नवंबर 2025, बेलेम, ब्राजील)" – संयुक्त राष्ट्र के इस जलवायु सम्मेलन की ओर बढ़ रही है, वैश्विक जलवायु विमर्श निर्णायक मोड़ पर पहुँच रहा है। 'इंप्लिमेंटेशन कॉप' के रूप में जानी जाने वाली यह बैठक "वचनबद्धता से क्रियान्वयन" यानि वैश्विक आंकलन की ओर बढ़ने पर केंद्रित है ताकि तकनीक और ग्रांट-आधारित वित्त बढ़े, अनुकूलन को प्राथमिकता देने के साथ न्यायपूर्ण परिवर्तन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिये "पारंपरिक व आधुनिक विज्ञान" को जोड़ा जाएगा तथा "अर्ली वार्निंग सिस्टम" और "इकोसिस्टम-आधारित अनुकूलन" में निवेश बढ़ाया जाएगा।

कॉप 30 में चर्चाओं का केंद्र होगा –वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण को सुरक्षित करना, "ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन" को क्रियान्वित करना और सुनिश्चित करना कि उपाय "न्यायसंगत और समावेशी" हों ताकि कमजोर देश मौजूदा और भविष्य के जलवायु जोखिमों का सामना कर सकें।

भारत – अब बदलाव का नेतृत्वकर्ता :–

भारत वैश्विक जलवायु वार्ताओं में "न्याय, लचीलापन और सतत विकास की आवाज" बना हुआ है। भारत हमेशा साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत पर जोर देता है और विकसित देशों से उत्सर्जन घटाने और विकासशील देशों को 'पूर्वानुमेय वित्त' मुहैया कराने की अपील करता है। भारत खुद को "वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण" के बीच एक पुल के रूप में स्थापित कर चुका है। यह "क्लाइमेट जस्टिस" की वकालत करते हुए विकसित देशों से "वित्तीय सहायता और स्वच्छ तकनीकों के साझा करने" का आग्रह करता है।

घरेलू स्तर पर भारत 'ग्रीन बजटिंग', 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड', और 'सार्वजनिक-निजी साझेदारी' जैसे उपायों से जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। अपने 'पंचामृत लक्ष्यों', लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरमेंट (LiFE)** व्यवहार आधारित जलवायु रणनीति का पहला वैश्विक मॉडल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और "इंटरनेशनल सोलर एलायंस" जैसी पहलों से भारत "सतत जीवनशैली और वैश्विक सहयोग" के माध्यम से जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व कर रहा है।

जलवायु विमर्श में भारत अब सिर्फ सहभागी नहीं, 'एजेंडा-सेटर' नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है जो स्थानीय नवाचार, क्षमता निर्माण और सहयोग के ज़रिए 'जलवायु न्याय' और 'वास्तविक कार्रवाई' की दिशा तय कर सकता है। ज्ञातव्य रहे कि ग्लोबल साउथ का मतलब है वे विकासशील या निम्न-आय वाले देश, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में स्थित हैं। G20 (2023) में भारत ने पहली बार Global South Summit आयोजित किया।

भारत को कॉप 30 से अपेक्षाएँ :–

1. "अनुकूलन (Adaptation)" को "शमन (Mitigation)" के बराबर प्राथमिकता दी जाए, जिसके लिए मापनीय लक्ष्य, पूर्वानुमेय वित्त और स्पष्ट प्रगति संकेतक हों। 2. क्रियान्वयन की राहें 'राष्ट्रीय संदर्भों' के अनुरूप हों ताकि भारत जैसे देश 'कम-कार्बन विकास' का अनुसरण करते हुए अपने विकास लक्ष्यों से समझौता न करें। भारत को उम्मीद है कि 'कॉप 30' में नया वैश्विक जलवायु वित्तीय लक्ष्य तय होने के साथ एक "स्पष्ट ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन (GGA)" ढांचा बनेगा जो दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में अधिक 'संगठित और जवाबदेह' आधार देगा

अंततः, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन दोनों पर समान ध्यान देना ज़रूरी है। इसके लिए "विज्ञान-आधारित नीतियाँ", "समुदाय की भागीदारी" और "मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग" आवश्यक हैं। हमारी रणनीति अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि "सक्रिय और दूरदर्शी" होनी चाहिए, ताकि हम अपने "पारिस्थितिकी तंत्र" की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। एक ऐसी अर्थव्यवस्था निर्मित करें जहां विकास व पर्यावरण एक दूसरे के पूरक बनें।

–अतिथि सम्पादक,
डा.अनुभा जैन
वरिष्ठ पत्रकार लेखिका

पीएम-कुसुम योजना : हरित ऊर्जा से आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर किसान

लक्ष्मीकांत भारद्वाज

हमारा देश आज ऊर्जा परिवर्तन के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाकर स्वच्छ, नवीकरणीय और आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर बढ़ना अब केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। इस दिशा में राजस्थान ने जो मिसाल कायम की है, वह पूरे देश के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम-कुसुम योजना को न केवल नीति के रूप में, बल्कि किसान सशक्तिकरण और हरित विकास के आंदोलन के रूप में अपनाया है।

राजस्थान की धरती सूरज की रोशनी से जगमगाती है। यही रोशनी अब राज्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत बन रही है। राज्य में अब तक 1961 मेगावॉट क्षमता के 940 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 1838 मेगावॉट के 848 संयंत्र पिछले दो वर्षों में ही पूरे किए गए हैं। यह उपलब्धि बताती है कि राजस्थान आज देश के सौर मानचित्र पर शीर्ष पर है। पीएम-कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट-ए और कंपोनेंट-सी में क्रमशः 2 मेगावॉट से 5 मेगावॉट तक के सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रति मेगावॉट संयंत्र पर 1.5 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलने से किसानों के लिए यह योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है।

अन्नदाता बने ऊर्जादाता :– पीएम-कुसुम योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने किसान को केवल बिजली उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक बना दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2027 तक किसानों को सिंचाई के लिए दिन में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में राज्य ने ठोस प्रगति की है। अब किसान अपने खेतों में सोलर पंप लगाकर दिन के समय सिंचाई कर पा रहे हैं। डीजल पर निर्भरता खत्म हुई है, खर्च कम हुआ है और पर्यावरण भी स्वच्छ हुआ है। इतना ही नहीं, कई किसान अपनी अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का यह नया मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है।

राजस्थान में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली सीधे स्थानीय ग्रिड स्टेशनों में जोड़ी जा रही है। इससे बिजली के ट्रांसमिशन में होने वाले नुकसान (लाइन लॉस) में कमी आई है और ऊर्जा आपूर्ति का ढांचा अधिक सुदृढ़ हुआ है। लगभग 90,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से राज्य का ऊर्जा क्षेत्र नई ऊँचाइयों पर पहुँच रहा है। महंगे थर्मल पावर पर निर्भरता घट रही है और हरित ऊर्जा का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने पीएम-कुसुम योजना को अपनी फ्लैगशिप परियोजना घोषित किया है।

इस योजना का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में भी गहरा पड़ रहा है। हजारों किसान अब ऊर्जादाता बन चुके हैं। खेतों में लगे सौर संयंत्र नई तरह के रोजगार अवसर सृजित कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग और उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्रों में युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। कृषि भूमि का बहुआयामी उपयोग अब खेती और बिजली दोनों के रूप में सामने आ रहा है। इससे ग्रामीण विकास का नया मॉडल विकसित हुआ है, जो आत्मनिर्भर गांव और स्वच्छ ऊर्जा वाले भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है।

राज्य सरकार ने योजना के सुचारू संचालन के लिए कई नवाचार अपनाए हैं। सोलर संयंत्रों की स्वीकृति, ऑनलाइन एग्रीमेंट, मीटर टेस्टिंग और ट्रांसमिशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। भूमि विवाद, वित्तीय स्वीकृति और अवसंरचनागत बाधाओं को दूर करने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रणाली बनाई गई है। इसके साथ ही सौर निवेशकों और किसानों के बीच विश्वास और पारदर्शिता बढ़ी है। परिणामस्वरूप सैकड़ों नई परियोजनाएँ तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। सौर ऊर्जा न केवल सस्ती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान है। राजस्थान में सैकड़ों सौर संयंत्रों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आई है। यह राज्य भारत के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य 2070 की दिशा में ठोस योगदान दे रहा है।

थर्मल बिजली संयंत्रों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग वायु प्रदूषण, जल उपभोग और पर्यावरणीय हानि को घटाता है। इस तरह, कुसुम योजना केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक बन चुकी है। कुसुम योजना के तहत अब तक कंपोनेंट-ए में 356 संयंत्र (460.75 मेगावॉट) और कंपोनेंट-सी में 1499 मेगावॉट क्षमता के 583 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय केवल 123 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र ही पूरे हो पाए थे। भारत सरकार ने राजस्थान के लिए कंपोनेंट-ए में 5250 मेगावॉट सौर क्षमता और कंपोनेंट-सी में 4 लाख सौर पंपों की स्थापना का लक्ष्य तय किया है।

कुसुम योजना ने कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण तीनों को जोड़ने का अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। अब किसान खेतों में फसल के साथ बिजली भी उत्पन कर रहा है। सिंचाई के लिए सस्ती बिजली, पर्यावरण की सुरक्षा और अतिरिक्त आमदनी के त्रिकोणीय लाभ में इस योजना को अद्वितीय बना दिया है। राजस्थान की धरती पर आज सूरज की किरणें केवल उजाला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई ऊर्जा बन रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने जो राह चुनी है, वह हरित विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है। राजस्थान का यह मॉडल बताता है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार एक साथ चलते हैं, तो सतत विकास केवल सपना नहीं, हकीकत बन जाता है। खेत से लेकर ठिाड तक हर किरण आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहती है।पीएम-कुसुम योजना ने हर किसान को ऊर्जा के इस नवयुग का सहभागी बना दिया है।

लक्ष्मीकांत भारद्वाज,
प्रदेश प्रवक्ता भाजपा।

संविधान और सरकार

राम निवास बैरवा

दिनांक 05 नवम्बर, 2024 के नौ जजों की संविधान पीठ के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश धनन्जय चन्द्रचूड़ ने अपने मुख्य फैसले में सरकार का पक्ष लेते हुए लिखा है–"संविधान आगे आने वाली सरकारों को व्यापक रूप से अपनी नीतियों के अनुरूप आर्थिक विचारधारा और अर्थव्यवस्था के निर्माण की छूट देता है ताकि वे चुनावों में किये गये वादों को पूरा कर सके, जिसे लोकतन्त्र कहा जा सकता है।"

मुख्य न्यायाधीश से किसी 'समावित सम्भावना' की पैरवी करने के बदले शेष, तथ्यपूरक और संविधान के प्रावधान को उद्धत करके अपनी बात कहने की अपेक्षा पूरा देश और संविधान करता है। लेकिन विडम्बना देखिये कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार संविधान के विपरीत काम करे, उसे जायज ठहरा दिया है। चंद्रचूड़ यह क्यों भूल जाते है कि वह स्वयं न्यायाधीश उसी संविधान द्वारा उपलब्ध करवाये गये अवसरों के तहत ही बने हैं; उनके द्वारा अप्रक्ष्य रूप से समर्थित 'चुनावी वादों' से अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने वाली सरकारें भी उसी संविधान द्वारा उपलब्ध कराये गये राजमार्ग से बनी हैं- उन्हें चुनावों में भाग लेने का अधिकार देकर। फिर कैसे दोनों ही संवैधानिक संस्थायें संविधान के विपरीत जा सकती हैं?

दरअसल, भारत के संविधान में समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति व्यवस्था के भावी स्वरूप की रूपरेखा संविधान की उद्देश्यिका (प्रीएम्बल) में लिखी गई है- चूंकि संविधान का शेष भाग संवैधानिक विधि है, अतः उसमें सरकारों के गठन, उनके कार्यकलापों, उनकी प्रतिबद्धता और उनको दिये गये संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख है। उन्हीं प्रावधानों में समाज की दशा और दिशा, अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा, शासन व्यवस्था की दशा और दिशा तथा राजनीतिक व्यवस्था की दशा और दिशा का उल्लेख और उनको धरातल पर उतारने की संवैधानिक बाध्यताएं निरूपित की गई हैं। देखा जाये तो संविधान का भाग-3 में व्यक्तिगत कुलरन वर्गीय अधिकार मूल अधिकारों के रूप में तथा भाग-4 में राज्यों की नीति के निदेशक सिद्धांतों के रूप में लिखे गये हैं।

इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों की नीति के निदेशक सिद्धांत हैं जिन्हें राज्यों को समाज अर्थव्यवस्था और जनता की राजनीतिक भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए कार्य करना अनिवार्य है। परन्तु, भाग-4 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समाज की परंपरागत संरचना सबसे बड़ी बाधक बनी हुयी है। सामन्ती समाज व्यवस्था को समूल नहीं बदल कर धीर-धीरे परिवर्तन की आशा में संविधान में सरकारों के गठन के लिए चुनाव पद्धति तथा सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों की प्राप्ति को सुरक्षित रखते हुए और आगे ले जाने का रास्ता कानूनी रूप से निर्धारित किया जाना आवश्यक है। जहां पर कहीं भी इसमें सरकारें विचलित होती हैं या अन्य कोई मार्ग अपनाती है तो न्यायपालिका सरकारों को चेतावनी देती है कि सरकारें अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों से हटकर विपरीत दिशा में देश को ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस मायने में पूरक कानूनों का काम करते हैं और सरकारों के लए चेतावनी को काम भी करते हैं।

अनुच्छेद 39, जो कि समग्र रूप से और क्रमिक रूप से एक ही है, फिर भी कानून के विशेषज्ञ प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक पैराग्राफ को अलग-अलग मानकर उन पर अपनी विद्वता का खेल खेलते हैं। इसी खेल में कार्यपालिका यानि कि सरकार तथा न्यायपालिका गड्डमड्ड हो जाती हैं। इस स्तर पर सरकारें जजों की और जज सरकारों की, एक-दूसरे की स्वार्थपूरक हो जाती हैं। इसी स्वार्थपरता का गड्डमड्ड होना और वैचारिक अन्तर्विरोधों और अन्तर्द्वंद्व को सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संवैधानिक पीठ का दिनांक 05 नवम्बर, 2024 का अनुच्छेद 39(बी) पर दिया गया फैसला है।

संविधान में राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांत भारत की चुनाव प्रणाली में अधिक से अधिक मत-वोट प्राप्त करने का साधन बना दिया गया हैं। इसलिए, उन सिद्धांतों में से उन्हीं मसलों को चुना जाता है जिनमें जनता को प्रभावित करके चुनावों में अधिक से अधिक वोट प्राप्त कर सके। इस प्रकार से "मीठा-मीठा गप, कढ़वा-कढ़वा थू" का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गया है सभी सरकारों का।

जवाहर लाल नेहरू के समय में कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका के लिए तथा गांधीजी से भावनात्मक लगाव का लाभ मिला; और फिर जवाहर लाल नेहरू स्वयं एक बुद्धीजीवी थे अतः उसी के अनुरूप सरकारी संस्थान और अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की राह पकड़ी और उसमें समाजवाद का छोंकण लगाया ताकि गरीब, पिछड़े, अशिक्षित विशाल जन समूह कांग्रेस को अपना मुक्तिदाता मान कर वोट दें। लगभग 15-20 वर्षों में सामाजिक उत्थान का भ्रम टूट ही जाता है जब धरातल पार कुछ नहीं हो। उसी टूटते भ्रम को फिर से बनाने के लिए इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ जैसे नारे दिये। जनता पार्टी का कार्यकाल इस बात का गवाह है कि भारत के सामन्तवादी कुलीन लोगों के विभिन्न समुदायों में सत्ता पार्टी की महत्वकांक्षा प्रमुख रही- वोटों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा जब कि चुनावी लोकतंत्र में यह आवश्यक है। परिणामस्वरूप, उन्हें सत्ता खोनी पड़ी। इन्दिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति ने राजीव गांधी को आत्यधिक मात्रा में वोट दिये, लेकिन उसकी समाज के प्रति कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होने के कारण सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बाद में सामन्ती कुलीन समुदायों को एहसास हुआ कि उन्हें एक होने के अलावा अमूर्त विकास को अपना राजनीतिक अस्तित्व बढ़ाकर वोटों के द्वारा सत्ता प्राप्त करने का साधन बनाना चाहिए। विकास वह जो धरातल पर कभी उतर नहीं पाया, लेकिन राज्यों की नीति के निदेशक सिद्धांतों का भ्रमित उपयोग करना प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप, हिन्दुत्व को आधार बनाकर विकास का नारा दिया गया जो अमूर्त ही रहा है।

चूंकि, विकास का धरातल पर दिखाई देना आवश्यक है, वह नहीं है, अतः विकास के नाम पर केंद्र की 200 से अधिक योजनाओं के तहत करोड़ो रूप में बांट कर वोट प्राप्त करने का सिलसिला चल पड़ा है। अगर लोगों में पैसा बांटना ही अर्थव्यवस्था के विकास का मापदण्ड है तो, वह कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में फिर कर फिर उल्टी दिशा में, समाज की परंपरागत संरचना की तरफ आना पड़ रहा है जिसमें पिछड़ेपन को जातीय आधार पर देखा जाकर पैसे बांटकर वोट प्राप्त करने का आयोजन किया जा रहा है।

अगर यही अर्थव्यवस्था का विकास है तो श्रीमान धनन्जय् यशवंत चन्द्रचूड़ एक सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच कर भी अपने मानसिक पिछड़ेपन से बाहर नहीं आ सके हैं और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को निभाने के बदले समाज के विकास को पीछे ले जाने के सिद्धांतों का पालन कर गये हैं।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भचिष्य निधि आयुक्त

राज्य सरकार ने "लाडो प्रोत्साहन योजना" के दायरे में बढ़ोतरी की, निजी स्कूल भी शामिल

अब निजी स्कूलों की बालिकाओं को भी 1.50 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी

बीकानेर, (निसं)। राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के दायरे में बढोतरी की गई है। पिछले शिक्षा सत्र से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। पहले इस योजना में केवल सरकारी स्कूलों की बालिकाएं ही पात्र थीं, लेकिन अब इसे सभी वर्गों की बेटियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हर बच्ची को समान अवसर मिल सके।

■ लाडो योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा, जिनका जन्म सरकारी या अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो और जो राजस्थान राज्य की मूल निवासी हो। इसके अलावा छात्रा ने सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन किया हो और सभी आवश्यक टीकाकरण समय पर पूर्ण किए हो

लाडो योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा, जिनका जन्म सरकारी या अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो और जो राजस्थान राज्य की मूल निवासी हो। इसके अलावा, छात्रा ने सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन किया हो और सभी आवश्यक टीकाकरण समय पर पूर्ण किए हो। इस योजना में अब राजश्री योजना को भी समाहित कर दिया गया है, जिससे संबंधित परिवारों को अलग-अलग योजनाओं की औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। योजना के प्रचार प्रसार को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी डाइट प्राचार्य को आदेश जारी किए हैं तथा नवम्बर माह में कार्यशाला आयोजित कर इस योजना की जानकारी सभी संस्था प्रधानों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

7 किस्तों में मिलेगी राशि :– छात्रा के जन्म पर 2500 रुपए, 1 वर्ष एवं टीकाकरण पूरा होने पर 2500 रुपए, प्रथम कक्षा में प्रवेश पर 4000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5000 रुपए, 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 10 हजार रुपए, कक्षा 12 में प्रवेश पर 25000 रुपए तथा स्नातक पूर्ण होने और 21 वर्ष की आयु पर एक लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा का कहना है कि लाडो योजना में निजी स्कूलों की बालिकाओं को शामिल करने का निर्णय सराहनीय है। इस फैसले से हर बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 20 नवम्बर, 2025

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र दिन 10:59 तक, शोभन योग प्रातः 9:53 तक, नाग करण दिन 12:27 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 10:59 से आरम्भ होगा। आज बुध वक्री रात्रि 4:16 पर होगा। आज देवकार्य अमावस्या है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:14 तक, चर 10:53 से 12:12 तक, लाभ-अमृत 12:12 से 2:51 तक, शुभ 4:11 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:54, सूर्यास्त 5:31 तक

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

वृष
परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

मकर
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्